Md. Shahbaz
2/7/18

कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

(राजस्व शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन नं०–834001

E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांकः–......1318......./

दिनांकः–.....02.07.18

आम सूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 एवं संशोधित नियमावली, 2015 तथा सहपठित अधिसूचना सं०–5350, दिनांक 24.09.2016 के विहित प्रावधान के अंतर्गत निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी आवासों का कर निर्धारण स्व कर निर्धारण पद्धति के अनुसार किया जाना निर्धारित है।

राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश ज्ञापांक 941, दिनांक 07.07.2017 के द्वारा 31.07.2017 तक बिना जुर्माना के स्व कर निर्धारण प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि निर्धारित थी।

2. निगम मांग पंजी में पूर्व में दर्ज 20–21 हजार धृति मालिकों के द्वारा अबतक स्व कर निर्धारण प्रपत्र जमा नहीं किया गया है, जिस कारण इन मकानों का कर निर्धारण अबतक नहीं हुआ है। जबकि कर निर्धारण की प्रभावी तिथि 01.04.2016 है।

3. कर निर्धारण एवं कर वसूली हेतु निगम द्वारा नियुक्त बाह्य एजेंसी, मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्रा०लि० के द्वारा यह प्रतिवेदित है कि उपरोक्त धृति मालिकों से सम्पर्क कर, कर निर्धारण हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु उनके द्वारा रूचि व्यक्त नहीं की गयी।

जिन धृतियों के संबंध में स्व कर निर्धारण प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए है, उन धृति मालिकों का ध्यान उक्त नियमावली की कंडिका 5.2 के अंतर्गत दिये गये प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है कि –

5.2 **परन्तु यह भी कि यदि कोई सम्पत्ति या धृति बन्द पायी जाती है और किसी भी कारणवश उसके कॉर्पेट एरिया की नापी लेना संभव नहीं हो, तो नगरपालिका उस होल्डिंग के प्लिन्थ एरिया के 75 प्रतिशत को कॉर्पेट एरिया मानकर वार्षिक किराया मूल्य निर्धारित करेगी जबतक कि उस होल्डिंग की पूर्णतः नापी न ले ली जाये।**

एतद् द्वारा सभी संबंधित को यह अंतिम सूचना दी जा रही है कि वे इस सूचना प्रकाशन के 07 दिनों के अंदर स्व कर निर्धारण प्रपत्र में सभी वांछित जानकारियों के साथ निम्नांकित स्थलों पर यथा–

1. निगम कार्यालय के जन सुविधा केन्द्र

Scanned by CamScanner

2. डोरण्डा अंचल कार्यालय के जन सुविधा केन्द्र
3. अपने वार्ड के कर संग्रहकर्ता या मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्रा०लि०, हरमू हाउसिंग कॉलोनी के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

कृप्या ध्यान दे :-

(i) भरे हुए प्रपत्र आवसीय भवनों के लिए 2,000/-रु० जुर्माना राशि के साथ तथा गैर आवासीय भवनों का प्रपत्र 5,000/-रु० जुर्माना राशि के साथ ही स्वीकार किये जायेंगे।

(ii) उक्त तिथि के पश्चात् निगम नियमावली के प्रावधान के अनुरूप इन भवनों का कर निर्धारण स्वयं कर लेगी तथा टैक्स वसूली हेतु डिमाण्ड नोटिस निर्गत करेगी।

(iii) होल्डिंग नं०, वार्ड नं०, होल्डिंग मालिक का नाम, निगम वेबसाईट **www.ranchimunicipal.com** पर प्रदर्शित है।

नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापांक....................................../राँची, दिनांक....................................

प्रतिलिपि :- श्री अमित कुमार, जी०आई०एस० विशेषज्ञ, राँची नगर निगम को सूचनार्थ **एवं इस निदेश** के साथ प्रेषित कि उक्त आम सूचना को DAVP Rate पर कम-से-कम 03 **स्थानीय दैनिक हिन्दी** समाचार पत्र, 01 उर्दु एवं 01 अंग्रेजी अखबार में प्रकाशन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापांक....................................../राँची, दिनांक....................................

प्रतिलिपि :- **श्री** राजेश कुमार, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राँची नगर निगम को सूचनार्थ एवं **इस निदेश के साथ प्रेषित** कि उक्त आम सूचना एवं जिनके कर द्वारा अबतक कर निर्धारण **का कार्य नहीं किया गया है**, की सूची को निगम वेबसाईट में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापांक....................................../राँची, दिनांक....................................

Scanned by CamScanner